सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

श्रावण 05, गुरूवार, शाके 1945-जुलाई 27, 2023
*Sravana 05, Thursday , Saka 1945- July 27, 2023*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

**क-ग्रुप-2**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 26, 2023**

**जी.एस.आर.54 :-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 11 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 20 का संशोधन.- राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**20. स्क्रीनिंग.**- (1) यदि सरकार की किसी स्कीम/परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिनने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करने के लिए निम्नलिखित से गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा,-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव; | अध्यक्ष |
| (ii) | वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; | सदस्य |
| (iii) | कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और | सदस्य |
| (iv) | विभागाध्यक्ष | सदस्य-सचिव |

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पूर्व सेवा के अनुभव को, सेवा के प्रत्येक पूर्ण तीन वर्षों के लिए एक वर्ष की अधिमानता दी जायेगी।

उदाहरण:

| क्र.सं. | संविदात्मक सेवा के पूर्ण किये गये वर्ष | वर्ष में अधिमानता |
|---|---|---|
| (i) | 3 | 1 |
| (ii) | 6 | 2 |
| (iii) | 9 | 3 |
| (iv) | 12 | 4 |
| (v) | 15 | 5 |
| (vi) | 18 | 6 |
| (vii) | 21 | 7 |
| (viii) | 24 | 8 |
| (ix) | 27 | 9 |

टिप्पण:- (i) सेवा के पूर्ण किए गये के अनुभव की गणना वर्ष के 1 अप्रैल से की जायेगी। इस उप-नियम के अधीन अधिमानता की गणना के प्रयोजन के लिए, भागों यदि कोई हों, पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ii) इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं गिना जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णीत किया गया है। नियुक्ति आदेश, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा:

परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर विनियमन करने से पूर्व, सहमति प्राप्त की जायेगी।

**[सं.एफ.1(2)डीओपी/ए-2/2023]**
**राज्यपाल के आदेश और नाम से,**
शिव प्रसाद सिंह,
**संयुक्त शासन सचिव।**

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**
**A-Gr.-II**
NOTIFICATION
**Jaipur, July 26, 2023**

**G.S.R.54 .-**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022, namely:-

**1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 11 January, 2022.

**2. Amendment of rule 20.-** The existing rule 20 of the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022, shall be substituted by following, namely;-

**"20. Screening.-** (1)If any specific contractual post of the any scheme/project of the Government is converted into regular post and included in any service, the person working on that contractual post and who have completed five years satisfactory service shall be screened for adjudging their suitability on the post by the screening committee consisting of,-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Additional Chief Secretary/PrincipalSecretary/ Secretary of the Administrative Department; | Chairman |
| (ii) | Additional Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary of the Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government; | Member |
| (iii) | Principal Secretary / Secretary of the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government, and | Member |
| (iv) | Head of the Department | Member -Secretary |

(2) Experience of the past service of the persons working on the posts so created on contract basis prior to the commencement of these rules, shall be given a weightage of one year for every completed three years of service.

**Example** :

| S.No. | Completed years of contractual service | Weightage in years |
|---|---|---|
| (i) | 3 | 1 |
| (ii) | 6 | 2 |
| (iii) | 9 | 3 |
| (iv) | 12 | 4 |
| (v) | 15 | 5 |
| (vi) | 18 | 6 |
| (vii) | 21 | 7 |
| (viii) | 24 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| (ix) | 27 | 9 |

Note:- (i) The experience of completed of service shall be counted as on 1st April of the year. For the purpose of calculation of the weightage under this sub-rule, the fractions if any shall be ignored.

(ii) Experience required for appointment on contractual post shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

(3)The Appointing Authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable for the post by the screening committee. The appointment order shall be effective from the date of issue of such order and the period of contract service under these rules shall not be counted as service for any purpose:

Provided that the concurrence of the Commission shall be obtained before regularisation on the post falling under its purview."

**[No. F. 1(2)DOP/A-II/2023]**
**By order and in the name of the Governor,**
SHIV PRASAD SINGH,
**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**